[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 32/2021-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई 2021

सा.का.नि... (अ). सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 3 की उप-धारा (12) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आशवस्त होने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, केंद्रीय सरकार एतद्वारा ऐसे माल, जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में सूचीबद्ध अधिनियमों में विनिर्दिष्ट है और जो उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अध्याय, शीर्ष, उप-शीर्ष अथवा टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं जो उक्त अधिनियमों में विनिर्दिष्ट हैं, पर एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (7) के अंतर्गत उद्ग्रहणीय संपूर्ण एकीकृत कर से, जब वह भारत में आयातित हो, इस अधिसूचना के उपबंध में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, छूट प्रदान करती है।

2. यह अधिसूचना 31 अगस्त, 2021 तक, जिसमे यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगी और ऐसे माल पर भी लागू होगी जिसकी निकासी इस आदेश के प्रवृत्त होने की तारीख पर लंबित है।

परिशिष्ट

क्र. सं.	**अधिसूचना**
1.	अधिसूचना संख्या 27/2021-सीमा शुल्क दिनांक 20 फरवरी, 2021 [सा.का.नि. 284(अ), दिनांक 20 फरवरी, 2021]
2.	अधिसूचना संख्या 28/2021-सीमा शुल्क दिनांक 24 फरवरी, 2021 [सा.का.नि. 286(अ), दिनांक 24 फरवरी, 2021]

उपबंध

शर्त सं.	**शर्त**
1.	आयातित माल केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, अथवा राज्य सरकार प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी राहत संस्था, इकाई, अथवा सांविदिक निकाय (एतश्मिन पश्चात जिसे राहत संस्था से संदर्भित किया गया है) को, निशुल्क वितरण हेतु दान किया जायेगा |
2.	आयातकर्ता माल की निकासी के पूर्व, केंद्रीय सरकार अथवा नोडल प्राधिकारी [जिनमें वह जिन्हें तदर्थ छूट आदेश संख्या 4/2021-सीमाशुल्क दिनांक 3 मई, 2021 {सा.का.नि. 316 (अ), दिनांक 3

	मई, 2021} के उद्देश्य हेतु राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, शामिल हैं], जैसा परिस्थिति के अनुरूप हो, से एक प्रमाण-पत्र सीमा शुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करता है, कि आयातित माल केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा उक्त नोडल प्राधिकारी द्वारा प्रमाण-पात्र में जिसकी सिफारिश की गयी हो, उस राहत संस्था, द्वारा कोविड राहत के लिए निशुल्क वितरण हेतु है ।
3.	आयातकर्ता आयत के पत्तन पर, सीमा शुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त के समक्ष, आयात की तारीख के छह माह, अथवा अधिकतम नौ माह तक की विस्तारित अवधि जिसे उक्त सीमा शुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त अनुज्ञात करे, के भीतर निम्नलिखित प्रस्तुत करता है, यथा- (क) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार, जैसा परिस्थिति के अनुरूप हो, से एक प्रमाण-पात्र कि आयातित माल उनके द्वारा निशुल्क वितरण हेतु प्राप्त कर लिया गया है; अथवा (ख) यदि आयातित माल नोडल प्राधिकारी कि सिफारिश पर राहत संस्था को दान किया गया हो, तो निशुल्क वितरित माल का विवरण, जो कि राज्य सरकार के उक्त नोडल प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित हो ।

[फाइल संख्या सीबीआईसी-190354/37/2021-टीओ(टीआरयू-I)-सीबीईसी(पीटी-I)]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार